



प्रेस—विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कम्पनी एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने वर्ष 2021–22 हेतु ₹.538.04 करोड़ राजस्व घाटे की मांग की है जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ने विगत वर्षों के ₹.38.22 करोड़ के राजस्व घाटे की मांग की थी परंतु आयोग ने इसके स्थान पर ₹.51.24 करोड़ राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है। वर्ष 2021–22 के घाटे और वर्ष 2023–24 के लिए बिजली की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित राजस्व के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने ₹.2950.54 करोड़ राजस्व घाटे का दावा किया है। संपूर्ण विश्लेषण के उपरान्त आयोग ने ₹.2950.54 करोड़ के घाटे के स्थान पर ₹.2924.53 करोड़ को ही मान्य किया है।

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता ₹.15581.14 करोड़ के स्थान पर ₹.17228.31 करोड़ मान्य किया गया है। उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आयोग द्वारा आकलित औसत विद्युत लागत दर ₹.6.58/- निर्धारित होती है। प्रचलित दरों के आधार पर वर्ष 2023–24 की आकलित औसत विद्युत बिलिंग दर ₹.6.21/- होती है। आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में लिए गए निर्णयों से औसत विद्युत बिलिंग दर ₹.6.34/- अनुमानित है जो कि वर्तमान प्रचलित दर से 13 पैसे अधिक है।

वर्तमान आदेश के मुख्य बिन्दु :–

- किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- उच्च दाब उद्योगों के विद्युत प्रदाय वोल्टेज के अनुसार लागू दरों में अंतर को ध्यान में रखते हुए, 220 kV एवं 132 kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों को युक्तिसंगत किया गया है।
- HV-5 एवं LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है।
- राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की कार्य कुशलता, बिलिंग दक्षता में वृद्धि करने हेतु आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
- जारी की जा रही नई विद्युत दरें जो कि संलग्नक-1 और संलग्नक-2 में उपलब्ध हैं, 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावशील होंगी।

कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता

- गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।

- किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करने वाली संस्था

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।

गैर घरेलू उपभोक्ता

- पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों (Electrical Transport system) हेतु इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग की विद्यमान टैरिफ रु.5/- प्रति यूनिट जारी रखा गया है।
- महिला सशक्तिकरण हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित कृषि एवं संबंधित गतिविधियों और व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है।
- राज्य के नक्सलवाद प्रभावित दूरस्थ जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ कर मोबाइल संपर्क की सुविधा को विस्तारित करने के लिए नये मोबाइल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 01.04.2019 के पश्चात् लगने वाले मोबाइल टॉवर के ऊर्जा प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट को जारी रखी गई है।

निम्नदाब उद्योग

- निम्न दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिलों को प्रचलित ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखी गई है।

उच्चदाब उपभोक्ता

- रक्षा स्थापना (डिफेंस स्टेब्लिसमेंट) को ऊर्जा प्रभार में 15 प्रतिशत की रियायत जारी रखी गई है।
- उच्च दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले राईस मिलों, पोहा एवं मुरमुरा मिलों को प्रचलित ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है।
- 33 के.वी. तक के उच्च दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले स्वतंत्र लघु ऑक्सिजन संयंत्र को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट को वर्तमान आदेश में समाप्त कर दिया गया है।
- सभी उच्चदाब स्टील उपभोक्ता श्रेणी को वर्तमान में दी जाने वाली लोड फैक्टर इंसेटिव को जारी रखा गया है।
- राज्य के बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में संचालित स्टील उद्योगों हेतु प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।
- ऑफपीक अवधि की टीओडी की दरों को सामान्य अवधि हेतु तय दरों के 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है।

तुलना की जाएगी ग्राहित पर्याप्ति, 01.07.2023 & 24 वर्ष का विज्ञप्ति का उल्लेखन विज्ञप्ति					
तुलना की जाएगी 2022 & 23 का				उल्लेखन का 2023 & 24 का	
मिल्कर्ड जैसे	फ्लॉट इक्सेंज	आक्लन्ज	फ्लॉट इक्सेंज	आक्लन्ज	
LV - 1 क्या है मिल्कर्ड, और चिह्न, यह मिल्कर्ड	oxl	: i:s	: i:sifn ; fuV	: i:s	: i:sifn ; fuV
LV-1	0&100	रु. 20/- प्रति किंवा. प्रति माह 5 किंवा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.70	रु. 20/- प्रति किंवा. प्रति माह 5 किंवा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.70
	101&200	रु. 30/- प्रति किंवा. प्रति माह 5 किंवा. से 10 किंवा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.90	रु. 30/- प्रति किंवा. प्रति माह 5 किंवा. से 10 किंवा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.90
	201&400	रु. 40/- प्रति किंवा. प्रति माह 10 किंवा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए;	5.30	रु. 40/- प्रति किंवा. प्रति माह 10 किंवा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए;	5.30
	401&600	रु. 601, 00 ml s vf/kd	6.30	रु. 601, 00 ml s vf/kd	6.30
	601, 00 ml s vf/kd	रु. 7.90	रु. 7.90	रु. 7.90	रु. 7.90
LV - 2 क्या है मिल्कर्ड	oxl	ekx i Hkkj	Ätkl nj	ekx i Hkkj	Ätkl nj
LV-2.1 क्या है मिल्कर्ड	0&100	रु. 50 प्रति किंवा. प्रति माह (5 किंवा. तक) सिंगल फेस	5.85	रु. 50 प्रति किंवा. प्रति माह (5 किंवा. तक) सिंगल फेस	5.85
	101&400	रु. 8.25	6.85	रु. 8.25	6.85
	401, 00 ml s vf/kd	रु. 8.25	रु. 8.25	रु. 8.25	रु. 8.25
LV-2.2 क्या है मिल्कर्ड	0&400	रु. 120 प्रति किंवा. प्रति माह (15 किंवा. तक) श्री फेस विलिंग डिमांड पर	6.85	रु. 120 प्रति किंवा. प्रति माह (15 किंवा. तक) श्री फेस विलिंग डिमांड पर	6.85
	401, 00 ml s vf/kd	रु. 7.55	रु. 7.55	रु. 7.55	रु. 7.55
	ekx vkl/kfjr	रु. 200 प्रति किंवा. प्रति माह (15 किंवा. से अधिक) श्री फेस विलिंग डिमांड पर	7.55	रु. 200 प्रति किंवा. प्रति माह (15 किंवा. से अधिक) श्री फेस विलिंग डिमांड पर	7.55
LV-3 dflk मिल्कर्ड	-	रु. 100 प्रति एच.पी. प्रति माह	5.05	रु. 100 प्रति एच.पी. प्रति माह	5.05
LV - 4 fufunc dflk l vkl vll; dk; l	oxl	ekx i Hkkj	Ätkl nj	ekx i Hkkj	Ätkl nj
LV-4.1 क्या है dflk l vkl vll; dk; l 25 , p-i-h- rd	dflk l vkl vll; dk; l 25 , p-i-h- rd	रु. 100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 134 प्रति किंवा. प्रति माह	5.05	रु. 100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 134 प्रति किंवा. प्रति माह	5.05
LV-4.1 क्या है dflk l vkl vll; dk; l 25 , p-i-h- l s vf/kd 150, p-i-h- rd	dflk l vkl vll; dk; l 25 , p-i-h- l s vf/kd 150, p-i-h- rd	रु. 110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 147 प्रति किंवा. प्रति माह	5.45	रु. 110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 147 प्रति किंवा. प्रति माह	5.45
LV-4.2 dflk l vkl vll; dk; l ekx vkl/kfjr	dflk l vkl vll; dk; l ekx vkl/kfjr 15 fd-ok- l s 112-5 fd-ok- rd	रु. 200 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.65	रु. 200 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.65
LV - 5 fufunc vkl kfcd mi HkkDrk	oxl	ekx i Hkkj	Ätkl nj	ekx i Hkkj	Ätkl nj
LV-5.1 vkl kfcd mi HkkDrk	25, p-i-h- 18-7 fdylkdkl/rd vklvpdch@ikoj yel%	रु. 80 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	4.15	रु. 80 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	4.15
l j xitk , or clrj i kf/kdjk . k es vokus okys {k= grq	25, p-i-h- 18-7 fdylkdkl/rd vklvpdch@ikoj yel%	रु. 80 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	3.75	रु. 80 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	3.75
LV-5.2 vll; m kx					
LV-5.2.1 vkl kfcd mi HkkDrk	25, p-i-h- 18-7 fdylkdkl/rd vkl kfcd%	रु. 120 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.15	रु. 120 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.15
l j xitk , or clrj i kf/kdjk . k es vokus okys {k= grq	25, p-i-h- 18-7 fdylkdkl/rd vkl kfcd%	रु. 100 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	4.15	रु. 100 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	4.15
LV-5.2.2 vkl kfcd mi HkkDrk	25, p-i-h- l s vf/kd 150 , p-i-h- 18-7 fdylkdkl/rd 112-5 fdylkdkl/rd vkl kfcd%	रु. 150 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.90	रु. 150 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.90
l j xitk , or clrj i kf/kdjk . k es vokus okys {k= grq	25, p-i-h- l s vf/kd 150 , p-i-h- 18-7 fdylkdkl/rd 112-5 fdylkdkl/rd vkl kfcd%	रु. 130 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.40	रु. 130 प्रति किंवा. प्रति माह (विलिंग डिमांड पर)	5.40
LV-6 l kolfdud mi ; kx kty ink , or l Md crth	-	रु. 142 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रु. 190 प्रति किंवा. प्रति माह	6.25	रु. 142 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रु. 190 प्रति किंवा. प्रति माह	6.25
LV-7 l puk i ksl kfcdh	l puk i ksl kfcdh fu; k- vkl/kfjr vdi vklby m kx	रु. 150 प्रति किंवा. प्रति माह	5.15	रु. 150 प्रति किंवा. प्रति माह	5.15

mPp nkc mi HkkDrkvksa gsrq i pfyr , oao"kl 2023&24 gsrq vk; kx }kjk vuqfnr VfjQ

		orlku nj 1/0"kl 2022&23%	ubl nj 1/0"kl 2023&24%	
	mi HkkDrk Js kh	ekx i Hkkj %: i ; sifr dsh, ifr ekg%	Åtkl i Hkkj %: i ; sifr kVAh%	ekx i Hkkj %: i ; sifr dsh, ifr ekg%
HV-1	Railway Traction on 132 kV/220 kV	375	4.55	375
	Mines			
	220 KV	500	6.75	500
HV-2	132 KV	500	6.90	500
	33 KV	500	7.15	500
	11 KV	500	7.45	500
	Other Industry & General Purpose Non-Industrial			
	220 KV	375	6.45	375
HV-3	132 KV	375	6.60	375
	33 KV (Load factor>15%)	375	6.85	375
	33 KV (Load factor<=15%)	190	7.05	190
	11 KV (Load factor>15%)	375	7.25	375
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.45	190
	Steel Industries			
	220 KV	375	5.45	375
	132 KV	375	5.60	375
HV-4	33 KV (Load factor>15%)	375	6.10	375
	33 KV (Load factor<=15%)	190	6.60	190
	11 KV (Load factor>15%)	375	6.20	375
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.00	190
HV-5	Irrigation, Agriculture, Allied Activities & Public water Works	375	5.85	375
HV-6	Residential	375	6.05	375
HV-7	Start up Power Tariff 400/220/132/33/11 kV	200	8.35	200
HV-8	Industries related to manufacturing of equipment for power generation from renewable energy sources 220/132/33/11 kV	130	4.15	130
HV-9	Information Technology Industries and export oriented Textile Industries	150.00	4.25	150